

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

तहसील-बस्सी, जिला-चित्तौड़गढ़

ग्राम पंचायत-अमरपुरा, दिनांक-3/10/25

ग्राम सेवा शिविर 2025

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) बस्सी जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

क्रमांक:-भू.अ./2025/31

प्रेषित,

दिनांक:-3/10/2025

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

चित्तौड़गढ़

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री बाबू पिता/पति श्री उडा निवासी पटवार हल्का अमरपुरा के राजस्व ग्राम अमरपुरा में जमाबन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या 94 में बाबू पिता/पति श्री उडा जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम बाबू पिता/पति श्री उडा दर्ज किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम बाबू पिता/पति श्री उडा का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. कारतकार अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।

(M)
तहसीलदार (भू.अ.)
तहसीलदार बस्सी (राज.)
जिला चित्तौड़गढ़

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

क्रमांक:-रीडर/2025/759

निमित्त,

दिनांक:-1/10/2025

पटवार हल्का

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री बाबू पिता/पति श्री उडा राजस्व पटवार हल्का अमरपुरा की खाता संख्या 94 में जाति/नाम बाबू पिता/पति उडा दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार बस्सी द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री बाबू पिता/पति श्री उडा की जाति/नाम बाबू पिता/पति श्री उडा एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद् द्वारा दी जाती है। पटवार हल्का अमरपुरा राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि:- तहसीलदार बस्सी पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

31

31

ग्राम सेवा शिविर 2022

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौड़गढ़(राज.)

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के संबंध में।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

अनवान श्री बाली पिता/पति श्री उडा-चमार
धनाम

राज्य सरकार जिरिये तहसीलदार बस्सी

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनवान में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी श्री बाली पिता/पति श्री उडा
निवास बाली का/की हूँ/हैं।

मेरे हमारे पटवार हल्का अमरपुरा के राजस्व ग्राम बाली में खाता संख्या 94 किता 3 रकबा 288 है। भूमि दर्ज
रेकार्ड है जिसमें मेरी/हमारी जाति/नाम बाली पिता/पति श्री उडा-चमार दर्ज है जिसको मैं/हम सम्मानजनक
रूप में बाली पिता/पति श्री उडा-चमार दर्ज करवाना चाहती हूँ/चाहता हूँ।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम बाली पिता/पति श्री उडा के बजाय बाली पिता/पति श्री उडा-चमार
दर्ज करवाने की कृपा करावे।

दिनांक /10/2025



हस्ताक्षर

प्रार्थी व अन्य

रिपोर्ट पटवारी हल्का अमरपुरा
महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री बाली पिता/पति श्री उडा निवासी बाली के राजस्व ग्राम बाली पटवार
हल्का अमरपुरा की जमाबन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या 94 में प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप
में बाली पिता/पति श्री उडा-चमार दर्ज करवाना चाहता हूँ/चाहते है। दोनो जातियाँ एक ही श्रेणी की है/दोनो नाम
एक ही व्यक्ति के है। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।
ग्राम बाली अमरपुरा धारा जारी प्रमाण पत्र 92/3.10.25 अनुसार लाली उडा बाली
हस्ताक्षर प्रमाणित है

पटवार अनूप....
तह बस्सी, बाली-चित्तौड़गढ़(राज.)

हस्ताक्षर भू.अ.नि.विजयपुर
उडा
02.10.25